फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बिरदी बनाम केलाश

98/19 ऽ97

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप. वादी ने शेष साक्ष्य शपथ पत्र PW-2 सुरेश चन्द शर्मा पेश किया। अब कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं। व अत: साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25-6-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	सुरेश शर्मा
25-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी ने संशोधित उनवान पेश किया। तथा अंतिम बहस सुनी गई बाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 98/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक –27.09.2019

1. मु० बिदामी पत्नी प्रभूदयाल
2. श्रवण कुमार पुत्र प्रभूदयाल

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. कैलाश चंद पुत्र पंचूराम
2. राजू लाल पुत्र पांचूराम

समस्त जाति कुमावत, निवासीगण ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

3. किशोर कुमावत पुत्र कानाराम
4. कानाराम कुमावत पुत्र पेमाराम (मृतक दौराने वाद)

4/1 राजू पुत्र कानाराम कुमावत
4/2 रमेश पुत्र कानाराम कुमावत
4/3 दिनेश पुत्र कानाराम कुमावत
4/4 सुनिता पुत्री कानाराम कुमावत

समस्त जाति कुमावत, निवासीगण गणेश नगर, ग्राम खोराबीसल, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
6. सुरेश पुत्र श्यामलाल
7. नरेश पुत्र श्यामलाल

समस्त जाति कुमावत, निवासीगण गणेश नगर, रोजदा रोड, खोराबीसल, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री महेश चन्द शर्मा – अधिवक्ता [illegible] ओर से
(2) श्री प्रकाश चन्द भारती – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दिनांक 25.06.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजीयात खसरा नम्बर 399/906 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 438/3 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 438/5 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439/917

रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 441/1 रकबा 0.80 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर वाके ग्राम खोराबीसल, पटवार हल्का खोराबीसल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उपज का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो प्रस्तुत वाद में "वादग्रस्त भूमि" हैं। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग व उपभोग कर लाभांवित होकर एवं लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात से वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई सरोकार व संबंध व लेना देना नहीं है। वादीगण ही मौके पर वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 438/5 रकबा 1.16 हैक्टेयर के दक्षिणी सीमा पर बनी हुई मेड को जबरन तोडकर पुख्ता निर्माण करने पर उतारू हैं, तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करने हेतु प्रयत्नशील है। जिस क्रम में प्रतिवादीगण दिनांक 19/9/2019 को वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी सीमा पर आये और कच्ची मेड को हटाने लगे तथा तथा वादीगण की वादग्रस्त आराजी में जबरन कब्जा कर निर्माण की सामग्री डालने हेतु आमादा व तत्पर हुए जिस पर वादीगण ने उन को मना किया, तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ गाली गलौच करते हुये झगडा फिसाद करने पर उतारू हो गये। तत्पश्चात् आस पास के लोगो द्वारा समझाईश करने पर उस वक्त तो प्रतिवादीगण मौके पर से चले गये लेकिन जाते–जाते वादीगण को एलानियां धमकी दे गये कि हम अगली बार बाहुबल एवं लठबल के साथ आकर तुम्हारी भूमि में जबरन कब्जा कर निर्माण करके रहेगें। जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा संबंधित पुलिस थाना करधनी जयपुर को उसी दिनांक 19/09/2019 को प्रस्तुत की। जिस पर पुलिस थाना करधनी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई। इसलिए वादीगण को प्रस्तुत वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। प्रतिवादीगण बाहुबल के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजी पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने हेतु एवं वादीगण को बेदखल करने हेतु व वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करने हेतु आमादा व तत्पर है। जिसमें यदि वो सफल हो गये तो वादीगण को असहनीय क्षति होगी। वादीगण प्रार्थनीय निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। प्रस्तुत वाद के लिए वादकारण दिनांक 19/09/2019 को उत्पन्न हुआ। जिससे दावा अन्दर अवधि हैं। चूंकि प्रतिवादीगण वादी की भूमि को खुर्द–बुर्द करके वादी को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित करने एवं उसमें कच्चा पक्का निर्माण करने पर तुले हुए है। ऐसी स्थिति में मामला आपातकालीन प्रकृति का है इसलिये प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 14:44:15 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3 को धारा 80 सी० पी० सी० के तहत नोटिस प्रेषित किये बिना ही यह वाद संस्थित किया गया है। चूंकि मामला आपातकालीन प्रकृति का होनें से धारा 80 सी० पी० सी० के तहत नोटिस प्रेषित किया जाकर नोटिस की कानूनी म्यांद तक इन्तजार करने से प्रतिवादीगण अपने गैर कानूनी व कुत्सित उद्देश्य में सफल हो जावेगें जिससे वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुतिकरण का मकसद ही सारहीन हो जावेगा इसलिये उक्त नोटिस की छूट प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80 (2) सी० पी० सी० पृथक से प्रस्तुत है जिसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उक्त नोटिस की छूट प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। विवादित भूमि माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होनें से माननीय न्यायालय को यह वाद श्रवण एंव निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः वादमय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें।

प्रतिवादी नं. 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद नं. 01 असत्य एवं अस्वीकार है। तथा इस मद में वर्णित कथनों को स्वयं दस्तावेज पेश कर वादी सिद्ध करें। वाद पत्र का मद नं. 02 असत्य एवं अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नं. 03 असत्य एवं अस्वीकार है वाद पत्र का मद नं. 04 असत्य एवं अस्वीकार है। तथा वादी ने प्रतिवादी पर झूठे आरोप लगाये है। खसरा नंबर 438/5 से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी ने दिनांक 12.09.1991 को दयानन्दपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर से आवंटन पत्र प्राप्त करके पुख्ता मकानात बना रखे है। तथा इस मद में वर्णित समस्त तथ्य मनगढ़त एवं निराधार है। वाद पत्र का मद नं. 05 असत्य अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नं. असत्य एवं अस्वीकार है। वाद पत्र का मद 07 असत्य एवं अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नं. 08 कानूनी है। इसलिए इसका जवाब देना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र का मद नं. 09 कानूनी है। इसलिए इसका जवाब देना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र का मद नं. 10 असत्य एवं अस्वीकार है। वादी का उक्त वाद धारा 183 व 188 रा.टी. एक्ट के तृतीय परिशिष्ट में नहीं आता है। इसलिए दावा चलने है। इसलिए वादी ने कोर्ट फीस कम पेश योग्य नहीं है। वाद पत्र का मद नं. 11 में चाहे गये अनुतोष अ, ब प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे [illegible] आदेश प्रदान करें।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। जवाब दावा में कोई [illegible] खण्डन नहीं होने कारण तनकीयात नही बनाई गई। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु [illegible] निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:15 IST
Reason: SelfAttested

1. PW1 श्रवण कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. PW2 सुरेश चंद्र शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2076–79 5 प्रदर्श–1, नक्शा– प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2076–79 खाता संख्या 241 प्रदर्श– 3, तहसीलदार रिपोर्ट बाबत पत्थरगढी कार्यवाही की पेश की गई।

हमने विद्वान अधिवक्तागणण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादी की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद हैं विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 438 रकबा 1.16 हैक्टेयर का वादीगण रिकार्डेड खातेदार है, यह जमाबंदी (संवत 2076–2079) प्रदर्श–1 से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती हैं। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। जमाबंदी (संवत 2076–2079) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का उपर्युक्त खसरा नं. 438 रकबा 1.16 पर कब्जा है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 438 रकबा 1.16 की दक्षिणी सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिग्री मुकदमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

वाद प्रस्तुति दिनांक –27.09.2019

नियमित वाद संख्या – 98/2019

1. मु0 विदामी पत्नी प्रभूदयाल
2. श्रवण कुमार पुत्र प्रभूदयाल
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

........वादीगण

बनाम

1. कैलाश चंद पुत्र पंचूराम
2. राजू लाल पुत्र पांचूराम
समस्त जाति कुमावत, निवासीगण ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
3. किशोर कुमावत पुत्र कानाराम
4. कानाराम कुमावत पुत्र पेमाराम (मृतक दौराने वाद)
4/1 राजू पुत्र कानाराम कुमावत
4/2 रमेश पुत्र कानाराम कुमावत
4/3 दिनेश पुत्र कानाराम कुमावत
4/4 सुनिता पुत्री कानाराम कुमावत
समस्त जाति कुमावत, निवासीगण गणेश नगर, ग्राम खोराबीसल, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
6. सुरेश पुत्र श्यामलाल
7. नरेश पुत्र श्यामलाल
समस्त जाति कुमावत, निवासीगण गणेश नगर, रोजदा रोड, खोराबीसल, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 25.06.2025

वादीगण का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 438 रकबा 1.16 की दक्षिणी सीमा तक किसी प्रकार दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.06.2025 को जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:15 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ———
ओहदा ———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 98/2019
बउनवानी – बिदामी बनाम कैलाश वगै0
निर्णय दिनांक :– 25.06.2025

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर म., जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:15 IST
Reason: SelfAttested